

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3669

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

कोयला उपकर

3669. श्रीमती मंजुलता मंडल:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला उपकर का नाम बदलकर 'पर्यावरण और पुनर्वास उपकर' करने तथा कोयला उत्पादक राज्यों के लिए उपकर का 60 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): कोयला मंत्रालय कोई उपकर नहीं लगाता है, इसलिए कोयला मंत्रालय द्वारा नाम बदलने का प्रश्न नहीं उठता।
